उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-1008/नौ-5-2016-130बजट/2015
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-238/2015/3947/नौ-5-2015-130बजट/2015 दिनांक 15 जुलाई, 2015 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को रू0 263.68 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 131.84 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-1148/न0आ0/न0नि0गो0/2015-16 दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य "असुरन चौकी से पादरी बाजार पुलिस चौकी तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य के स्थान पर "असुरन चौकी से पादरी बाजार पुलिस चौकी तक की सड़क की पटरियों का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतएव नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 2015 द्वारा स्वीकृत उक्त कार्य के स्थान पर "असुरन चौकी से पादरी बाजार पुलिस चौकी तक की सड़क की पटरियों का चौड़ीकरण" की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

उमा शंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-1008(1)/नौ-5-2016-130बजट/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।